HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 296/2026
URN: CR / 488U / 2026

Amar Singh S/o Late Shri Ramchandra, Aged About 62 Years, R/o Village Jelaff, Tehsil Narnaul, District Mahendragarh, Haryana, Presently Residing At G-1/1047-C, Adarsh Enclave, Aya Nagar Extension, Hauz Khas, South Delhi, Delhi.

----Petitioner

Versus

1. Karansingh S/o Late Shri Ramchandra, R/o Village Jelaff, Post Office Doharkalan, Tehsil Narnaul, District Mahendragarh, Haryana.
2. State of Rajasthan, Through The District Collector, District Kotputli-Behror, Rajasthan.
3. Sub-Registrar, Kotputli District Kotputli-Behror, Rajasthan.
4. Manpyari D/o Late Shri Ramchandra, W/o Shri Sadhuram, R/o Narsinghpur, Tehsil Kadipur, District Gurugram, Haryana.
5. Kamla D/o Late Shri Ramchandra, W/o Shri Dharamsingh Chhavdi, R/o Sangwadi, Tehsil Rewari, Haryana.
6. Rambati D/o Late Shri Ramchandra, W/o Shri Ratan Singh, R/o Mohammadpur Jharsa, Post Narsinghpur, Tehsil Kadipur, District Gurugram, Haryana.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Jaibir Singh Nagar, Adv.
Mr. Akash Nagar, Adv.
Mr. Tushar Panwar, Adv.
Mr. Tarun Yadav, Adv.
Mr. Satish Kumar Gurjar, Adv.
Mr. Rohit Mehrda, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

17/07/2026

अंतरिम स्थगन पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

याची/प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि उनके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय जिला न्यायाधीश, कोटपूतली–बहरोड़ के समक्ष दीवानी वाद संख्या 54/2025 करण सिंह बनाम अमर सिंह वगैरह में आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.05.2026 के माध्यम से अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में उसके पिता के 1/4 हिस्से पर कब्जा होना बताया है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अपने पिता स्व. श्री रामचंद्र की शारीरिक कमजोरी व अक्षमता का फायदा उठाकर उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति को हड़पने के लिए उसके पिता से छलकपट व बेईमानीपूर्वक एक कूटरचित उपहार पत्र स्वयं के नाम बनवाकर उक्त सम्पत्ति स्वयं के नाम करवाना बताया है। वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि जिसे उपहार पत्र (दान पत्र) के माध्यम से वादी के पिता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दिया जाना बताया गया है, उस भूमि का याची/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामांतरण दर्ज हो चुका है। प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने उक्त कृषि भूमि कूटरचित उपहार पत्र के आधार पर याची/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना बताते हुए उक्त उपहार पत्र (दान पत्र) दिनांक 29.09.2023 को रद्द किये जाने तथा कृषि भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को उसके कब्जे से

बेदखल नहीं किये जाने व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

याची/प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि जहां विक्रय पत्र या दान पत्र में अंकित सम्पत्ति कृषि भूमि हो, वहां सर्वप्रथम खातेदारी अधिकार राजस्व न्यायालय में निर्धारित होने चाहिए। वादग्रस्त कृषि भूमि का नामांतरण याची/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो चुका है। उक्त कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के भी खातेदारी अधिकार हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विनिश्चय Pyarelal Vs. Shubhendra Pilania; (2019) 3 SCC 692 में अभिनिर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप उक्त खातेदारी अधिकार तय किये बिना दान पत्र को सिविल न्यायालय निरस्त नहीं कर सकता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विनिश्चयों में अभिनिर्धारित सिद्धांतों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने याची/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता निस्तारित करने में विधिक भूल व त्रुटि की है। यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाती है, तो इससे अनावश्यक पेचीदगियां उत्पन्न होंगी। अतः विद्वान विचारण न्यायालय में लंबित वाद की कार्यवाही स्थगित की जावे।

याची के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः–

1. Pyarelal v. Shubhendra Pilania; (2019) 3 SCC 692
2. Devi Lal v. Amandeep & Ors.; S.B. Civil Revision Petition No. 117/2023
3. Ram Lal & Ors. v. Balu & Ors.; S.B. Civil First Appeal No. 257/2022
4. Executive Officer, Arulmigu Chokkanatha Swamy Koil Trust v. Chandran; (2017) 3 SCC 702

5. LRs of Lt. Sh. Badiya v. State of Rajasthan & Ors.; S.B. Civil Writ Petition No. 82/1999
6. Padhiyar Prahladji Chenaji (Deceased) through LRs v. Maniben Jagmalbhai (Deceased) through LRs & Ors.; (2022) 12 SCC 128
7. Balkrishna Dattatraya Galande v. Balkrishna Rambharose Gupta & Anr.; (2020) 19 SCC 119
8. Venkataraja & Ors. v. Vidyane Doureradjaperumal (Dead) through LRs & Ors.; (2014) 14 SCC 502
9. Anathula Sudhakar v. P. Buchi Reddy; (2008) 4 SCC 594
10. Patasibai v. Ratanlal; (1990) 2 SCC 42
11. Shiv Shakti Coop. Housing Society v. Swaraj Developers; (2003) 6 SCC 659
12. Suhrid Singh @ Sardool Singh v. Randhir Singh & Ors.; (2010) 12 SCC 112
13. Deccan Paper Mills Co. Ltd. v. Regency Mahavir Properties & Ors.; (2021) 4 SCC 786
14. Hussain Ahmed Choudhury & Ors. v. Habibur Rahman (Dead) through LRs & Ors.; 2025 SCC OnLine SC 892
15. T.V. Ramakrishna Reddy v. M. Mallappa; (2021) 13 SCC 135
16. R.K. Roja v. U.S. Rayudu; (2016) 14 SCC 275
17. South Central Railway Employees Cooperative Credit Society Employees Union v. B. Yashodabai; (2015) 2 SCC 727
18. State of Haryana & Anr. v. Amin Lal (since deceased) through His LRs & Ors.; 2024 INSC 875
19. Asma Lateef v. Shabbir Ahmad; (2024) 4 SCC 696
20. Manakchand & Ors. v. Udairaj & Ors.; S.B. Civil Misc. Appeal No. 1823/2022
21. Madanmohan v. Karmendra & Ors.; S.B. Civil Writ Petition No. 581/2024
22. Sanjay Paliwal & Anr. v. Bharat Heavy Electricals Ltd.; 2026 SCC OnLine SC 83
23. Thangam v. Navamani Ammal; (2024) 4 SCC 247

सुना गया तथा पत्रावली व प्रस्तुत विनिश्चयों का अवलोकन किया गया।

याची/प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन करने, प्रस्तुत विनिश्चयों में अभिनिर्धारित सिद्धांतों व प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान विचारण न्यायालय जिला न्यायाधीश, कोटपूतली–बहरोड़ में लंबित वाद संख्या 54/2025 में अग्रिम कार्यवाही आगामी तारीख पेशी तक स्थगित की जाती है। यह आदेश केवल आगामी तारीख पेशी तक प्रभावी होगा तथा आगामी पेशी पर उपस्थित पक्षों को सुनकर नये सिरे से आदेश पारित किया जाएगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस पेश होने पर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये जावें।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/06